न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–75 / 2016–17

लक्ष्मी नारायण बनाम अंचलाधिकारी, दानापुर एवं अन्य

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

23/10/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0–54 / 2015–16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–18.01.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष

1. लक्ष्मी नारायण, पिता स्व0 विश्वनाथ प्रसाद, मोहल्ला–राजेन्द्र नगर रोड नं0–1 / एफ, पानी टंकी के नजदीक, पो0–राजेन्द्र नगर, थाना–कदमकुंआ, जिला–पटना, पिन कोड–800016

द्वितीय पक्ष

1. अंचल अधिकारी, दानापुर
2. अरविन्द कुमार (हल्का कर्मचारी) अंचल दानापुर, पता–अंचल कार्यालय, दानापुर, पो0–नासरीगंज दीघा, थाना–दानापुर, जिला–पटना, पिन कोड–800012
3. बिहार सरकार
4. सुरेन्द्र कुमार, पिता स्व0 विश्व नाथ प्रसाद,
5. दिपक कुमार,
6. प्रवीण कुमार,
7. प्रदीप कुमार, सभी पिता स्व0 कामता प्रसाद,
8. आशा देवी, पति कामता प्रसाद, मोहल्ला–राजेन्द्र नगर, रोड नं0–1 / एफ, पानी टंकी के नजदीक, पो0–राजेन्द्र नगर, थाना–कदमकुंआ, जिला–पटना, पिन कोड–800016

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
दानापुर	धनौत	20	630	43	03 कठ्ठा

आवेदक का कहना है कि

(1) आवेदक की माता यशोदा देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक–25.02.1982 के निबंधित केवाला से खरीदी गयी थी। खरीदगी के पश्चात यशोदा देवी के नाम से जमाबंदी सं0 77 कायम की गयी तथा लगान सदा किया जाने लगा।

(2) यशोदा देवी दिनांक–06.06.2014 को अपने पीछे तीन पुत्र लक्ष्मी नारायण, कामता प्रसाद एवं सुरेन्द्र प्रसाद को छोड़कर स्वर्गवास हो गयी। यशोदा देवी के पति विश्वनाथ प्रसाद की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। एक पुत्र कामता प्रसाद की भी मृत्यु हो चुकी है।

(3) यशोदा देवी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान अर्थात आवेदक लक्ष्मी नारायण एवं अन्य के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का दाखिल खारिज अपने नाम से करने का आवेदन अंचलाधिकारी, दानापुर को दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 4418/2015–16 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के द्वारा झूठा प्रतिवेदन दिया गया कि यशोदा देवी की जमाबंदी समाप्त कर दी गयी है तथा जमीन पर आवेदक का दखल–कब्जा नहीं है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन दिनांक– 13.02.2016 को अस्वीकृत कर दिया गया।

(4) अंचलाधिकारी, दानापुर के दिनांक–13.02.2016 के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 54/2015–16 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए दिनांक–18.01.2017 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(5) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 54/15–16 में दिनांक–18.01.17 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) दिनांक–25.02.1982 का केवाला

(2) यशोदा देवी की जमाबंदी सं0 77 पर निर्गत वर्ष 1982–83 की लगान रसीद

(3) अंचलाधिकारी, दानापुर का ज्ञापांक–1487 दिनांक–15.05.2017 जो उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार को सम्बोधित है।

विपक्षी सं0 4 से 8 की तरफ से प्रतिउतर दायर करते हुए आवेदक की बात का समर्थन किया गया है तथा पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) दिनांक–25.02.1982 के केवाला के आधार पर पंजी–2 में यशोदा देवी के नाम से जमाबंदी सं0 77 कायम की गयी थी तथा लगान रसीद निर्गत की गयी थी। वर्ष 1982–83 के बाद प्रश्नगत भूखण्ड का लगान जमा किया गया है। इससे संबंधित कोई साक्ष्य आवेदक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपील वाद सं0 54/2015–16 में दिनांक–18.01.2017 को आदेश पारित करते हुए यह संभावना व्यक्त की गयी है कि यशोदा देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड किसी अन्य को बिक्री कर दी गयी हो, जिसका कारण उनकी जमाबंदी शून्य हो गयी हो। साथ हीं राजस्व कर्मचारी के दखल–कब्जा नहीं रहने के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(3) आवेदक के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत इस संबंध में सूचना

की मांग की गयी थी। अंचलाधिकारी, दानापुर के पत्रांक 1487 दिनांक 15.05.17 से उप सचिव राज्य सूचना आयोग, बिहार को इस आशय की सूचना उपलब्ध करायी गयी है कि यशोदा देवी की जमाबंदी सं0 77 को खारिज कर रामपति सिंह, पिता फूलधारी सिंह, ग्राम–निसरपुरा, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना के नाम से कुल रकवा 1.23डी0 जमीन की जमाबंदी 743 पर कायम किया गया है परन्तु जमाबंदी पंजी पर वांद सं0 अंकित नहीं है।

(4) अंचलाधिकारी, दानापुर के पत्रांक 1487 दिनांक 15.05.2017 से स्पष्ट है कि जमाबंदी पंजी पर यशोदा देवी की जमाबंदी शून्य हो चुकी है। इस स्थिति में अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 4418/2015–16 के अन्तर्गत आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाना नियम सम्मत है। साथ ही दाखिल खारिज अपील वाद सं0 54/15–16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–18.01.2017 को पारित आदेश को भी गलत नहीं माना जा सकता।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह मानता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 54/15–16 में दिनांक–18.01.2017 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अंचलाधिकारी, दानापुर के प्रतिवेदनानुसार यशोदा देवी की जमाबंदी को खारिज कर रामपति सिंह, ग्राम–निसरपुरा, थाना–फुलवारीशरीफ की जमाबंदी सं0 743 कायम की गयी है। आवेदक यदि उक्त जमाबंदी को गलत मानते हों तो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने हेतु वाद दायर कर सकते है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर एवं अंचलाधिकारी, दानापुर को दें।

लेखापित एवं संशोधित।

23/01/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

23/01/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना